भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : **374**
दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अगरतला क्षेत्र के लिए नियमित विमान सेवा

*** 374. श्री प्रतिमा भौमिक:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है कि दिल्ली से अगरतला और अगरतला से दिल्ली के बीच एअर इंडिया और इंडिगो एअरलाइन्स के अतिरिक्त और कोई अन्य एअरलाइन नियमित उड़ानों का प्रचालन नहीं करेंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अगरतला क्षेत्र में आने-जाने के लिए किसी नियमित विमान सेवा को प्रचालन करने की अनुमति नहीं प्रदान करने के कारण/आधार क्या हैं;
(ख) क्या सरकार की नई दिल्ली से उक्त क्षेत्र के लिए कोई नई सीधी विमान सेवा शुरू करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार ने अगरतला में निर्माणाधीन नए विमानपत्तन टर्मिनल भवन का कार्य पूर्ण करने के लिए कोई समय-सीमा नियत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

अगरतला क्षेत्र के लिए नियमित विमान सेवा के संबंध में दिनांक 18.07.2019 के लोक सभा मौखिक (*) प्रश्न संख्या 374 के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क): जी नहीं।

(ख): मार्च, 1994 में विमान निगम अधिनियम के निरसन के कारण भारतीय अंतर्देशीय विमानन क्षेत्र अविनियमित हो गया था। एयरलाइनें किसी भी विमान प्रकार को अपने बेड़े में शामिल करके क्षमता संवर्धन करने तथा सेवाएं प्रदान करने व प्रचालन करने हेतु किसी भी बाजार व नेटवर्क का चयन कर सकती हैं। सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात की मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए देश में कहीं भी प्रचालन कर सकती हैं।

तथापि, नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता को सुलभ बनाने/उसके उद्दीपन के लिए तथा जनसाधारण के लिए विमान यात्रा को किफायती बनाने हेतु दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) आरंभ की है। निम्नलिखित के माध्यम से एयरलाइन प्रचालकों को सहयोग प्रदान करके क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अंतर्गत किफायती क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कता का संवर्धन किया गया है:

(i) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों की लागत में कमी करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायत।

(ii) क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालन की लागत और संभावित राजस्व के बीच अंतर, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण या वीजीएफ)। क्षेत्रीय संपर्कता योजना – उड़ान मांग आधारित है और क्षेत्रीय विमान सम्पर्कता मार्ग का विकास , बाजार शक्तियों पर आधारित होता है, जिसके लिए एयरलाइने विशिष्ट मार्गों पर अपेक्षित मांग और आपूर्ति का आकलन करती हैं तथा समय-समय पर आयोजित बोली प्रक्रिया में भाग लेती हैं। आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत बोली प्रक्रिया के तीसरे चरण में, अगरतला-एजवाल-अगरतला, मार्ग मैसर्स इंडिगो को अवार्ड किया गया है।

(ग): अगरतला में नए हवाईअड्डा टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य के पूरा होने की संभावित तिथि 31 दिसंबर, 2019 है और नए हवाईअड्डा टर्मिनल भवन से प्रचालन आरंभ करने की संभावित तिथि 31 मार्च, 2020 है, क्योंकि इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से स्वीकृति और एयरलाइनों की हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर प्रणालियों आदि को नए स्थान पर स्थानान्तरित करने के अतिरिक्त, ताप, संवातन, वातानुकूलन प्रणाली (एचवीएसी), कन्वेयर बैल्ट आदि के पूर्ण स्तरीय परीक्षण की आवश्यकता होती है।

*****